

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	<p>द्वेष वर दल नु प्रविष्टि वार्त पत्रावली जस्य परं दिपय सुमानि हनु शिवा 20-10-12 को पत्रावली</p>
	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./ अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29-12-12 को पेश हो।</p>
29-12-12	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./ अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 3-3-17 को पेश हो।</p>
3 $\frac{3}{17}$	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./ अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 19-5-17 को पेश हो।</p>
19 $\frac{5}{17}$	<p>इसजही पेशी देने पर पत्रावली भाव पेश हुई। अधिकारियों द्वारा जमाना जमावतें का पत्रावली होने को कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-7-17 को पेश हो।</p>
14 $\frac{7}{17}$	<p>इसजही पेशी देने पर पत्रावली भाव पेश हुई। अधिकारियों द्वारा जमाना जमावतें का पत्रावली होने को कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-9-17 को पेश हो।</p>
15 $\frac{9}{17}$	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./ अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29-12-17 को पेश हो।</p>

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>25 ¹²/₁₇</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप. अनुमतिपत्र / पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 28-3-18 को पेश हो</p>	
06 ⁰⁵ / ₁₈	<p>दिनांक 06/05/18 को पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप. अनुमतिपत्र / पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 05/06/18 को पेश हो</p>	
17 ⁰⁸ / ₁₈	<p>दिनांक 17/08/18 को पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप. अनुमतिपत्र / पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 05/11/18 को पेश हो</p>	
05 ¹¹ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप. अनुमतिपत्र / पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 30/11/19 को पेश हो</p>	
30 ⁰¹ / ₁₉	<p>पत्रावली पेश हुई। उल्लेख में बाट-बाट आवाज लगावई गई। वकूलाय उमम पद उपका पत्रकाएल में से कोई भी हाजिर अदालत नही भाया। अतः कार्यवाही उल्लेख अहकाम दायिरी एवं उमम पेंली में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेस्तुल शुमाए होकर नम्बर से कस हो तथा बाद तजकील दाखिल दफ्तार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनगाया गया।</p> <p>शहीरथ शाख (RAS) सहायक कलक्टर (कानून देका) खण्डेला</p>	